(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 53/2015–2020
दिनांकः 9 जनवरी, 2023

विषयः विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीईपी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन–के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16.01.2023 से किए जाने वाले निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.59 के अंतर्गत संशोधित परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है। 432 एचएस कोडों में ये संशोधन डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 19 दिनांक 17.08.2021 के तहत पूर्व में अधिसूचित दरों/अधिकतम सीमा में प्रकट रुप से पाई गई त्रुटियों अथवा विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों के कारण किए जा रहे हैं।

2. संशोधित परिशिष्ट 4द 16.01.2023 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात पर लागू होगा। स्कीम के बजटीय ढांचे का अनुपालन करने के लिए एफटीपी 2015–20 के पैरा 4.54 के अनुसार आवश्यक परिवर्तन और संशोधन तत्पश्चात किए जाएंगे।

3. संशोधित आरओडीटीईपी परिशिष्ट 4द जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई अधिकतम मूल्य सीमा शामिल है, डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'रेग्यूलेटरी अपडेट्स> आरओडीटीईपी' लिंक के तहत उपलब्ध हैं।

इस अधिसूचना का प्रभावः पूर्व में अधिसूचित आरओडीटीईपी दरों/अधिकतम सीमा में 432 एचएस कोडों में प्रकट रुप से पाई गई त्रुटियों और विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीईपी समिति द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, संशोधित परिशिष्ट 4द को अधिसूचित किया जा रहा है और यह 16.01.2023 से 30.09.2023 तक किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगा।

संतोष कुमार सारंगी 9.1.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम–21/पीसी–3 से जारी]